इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020—आश्विन 23, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्र. 84 (5)—वि.निर्वा.—चार—2020—उपचुनाव—101.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 567—Exit—SDR—2020—Vol.II, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 और उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001

सं. 567–एग्जिट–2020–एसडीआर–खंड-II नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./67/2020 एंव दिनांक 5 अक्तूबर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./72/2020 के तहत घोषित बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और:

2. और यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में यथाअधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एग्जिट पोल आयोजित करने और ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत **दिनांक 3 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 06.00 बजे से 07 नवंबर, 2020 (शनिवार) को अपराह्न 06.30 बजे तक** के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित बिहार के 1-वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र और 11 राज्यों (अनुलग्नक- I के अनुसार) की विधानसभाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,
हस्ता./
(एन. टी. भूरिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi–110 001

No- 576-Exit-2020-SDR-Vol. II New Delhi, the 14th October 2020

NOTIFICATION

1. Whereas, the schedule for the House of the People of Bihar and Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland, Odisha, Telangana and Uttar Pradesh have been announced by the Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/67/2020, dated 29-9 2020 and No. ECI/PN/72/2020 dated 05-10-2020. .

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of any exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **6.00A.M on 3rd November, 2020 (Tuesday)** and 6.30 PM on **7th November, 2020 (Saturday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/67/2020 and No. ECI/PN/72/2020 dated 05-10-2020 from **bye-elections from 1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency of Bihar & 59 Assembly Constituencies (As per Annexure-I) of 11 States,** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,
Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,
Election Commission of India.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	Bihar	1- Valmiki Nagar

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Chhattisgarh	24- Marwahi(ST)
2.	Gujarat	01- Abdasa
3.	Gujarat	61- Limbdi
4.	Gujarat	65- Morbi
5.	Gujarat	94- Dhari
6.	Gujarat	106- Gadhada (SC)
7.	Gujarat	147- Karjan
8.	Gujarat	173- Dangs (ST)
9.	Gujarat	181- Kaprada (ST)
10.	Haryana	33- Baroda
11.	Jharkhand	10- Dumka (ST)
12.	Jharkhand	35- Bermo
13.	Karnataka	136- Sira
14.	Karnataka	154- Rajarajeshwarinagar
15.	Madhya Pradesh	04- Joura
16.	Madhya Pradesh	5- Sumawali
17.	Madhya Pradesh	6- Morena
18.	Madhya Pradesh	7- Dimani
19.	Madhya Pradesh	8- Ambah (SC)
20.	Madhya Pradesh	12-Mehgaon
21.	Madhya Pradesh	13- Gohad (SC)
22.	Madhya Pradesh	15- Gwalior
23.	Madhya Pradesh	16- Gwarlior East
24.	Madhya Pradesh	19- Dabra(SC)
25.	Madhya Pradesh	21- Bhander (SC)
26.	Madhya Pradesh	23- Karera (SC)
27.	Madhya Pradesh	24- Pohari
28.	Madhya Pradesh	28- Bamori

29.	Madhya Pradesh	32- Ashok Nagar (SC)
30.	Madhya Pradesh	34- Mungaoli
31.	Madhya Pradesh	37- Surkhi
32.	Madhya Pradesh	53- Malhara
33.	Madhya Pradesh	87- Anuppur (ST)
34.	Madhya Pradesh	142- Sanchi (SC)
35.	Madhya Pradesh	161- Biaora
36.	Madhya Pradesh	166- Agar (SC)
37.	Madhya Pradesh	172- Hatpipliya
38.	Madhya Pradesh	175- Mandhata
39.	Madhya Pradesh	179-Nepanagar (ST)
40.	Madhya Pradesh	202- Badnawar
41.	Madhya Pradesh	211- Sanwer (SC)
42.	Madhya Pradesh	226- Suwasra
43.	Manipur	30- Lilong
44.	Manipur	34-Wangjing Tentha
45.	Manipur	22-Wangoi
46.	Manipur	51-Saitu(ST)
47.	Manipur	60-Singhat(ST)
48.	Nagaland	14-Southern Angami-I (ST)
49.	Nagaland	60-Pungro-Kiphire (ST)
50.	Odisha	38-Balasore
51.	Odisha	102-Tirtol (SC)
52.	Telangana	41-Dubbak
53.	Uttar Pradesh	40-Naugawan Sadat
54.	Uttar Pradesh	65-Bulandshahr
55.	Uttar Pradesh	95-Tundla (SC)
56.	Uttar Pradesh	162-Bangermau
57.	Uttar Pradesh	218-Ghatampur (SC)
58.	Uttar Pradesh	337-Deoria
59.	Uttar Pradesh	367-Malhani

अनुलग्नक–I

क्रम सं0	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कानाम व संख्या
1.	बिहार	1- बाल्मीकिनगर

क्रम सं0	राज्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	छत्तीसगढ़	24- मरवाही (अ. ज. जा.)
2.	गुजरात	01-अबडासा
3.	गुजरात	61- लींबडी
4.	गुजरात	65- मोरबी
5.	गुजरात	94-धारी
6.	गुजरात	106- गढडा (अ. जा.)
7.	गुजरात	147- करजण
8.	गुजरात	173- डांग (अ.ज.जा.)
9.	गुजरात	181- कपराडा (अ.ज.जा.)
10.	हरियाणा	33- बरोदा
11.	झारखण्ड	10- दुमका (अ.ज.जा.)
12.	झारखण्ड	35- बेरमो
13.	कर्नाटक	136- सिरा
14.	कर्नाटक	154- राजाराजेश्वरीनगर
15.	मध्य प्रदेश	04- जौरा
16.	मध्य प्रदेश	05- सुमावली
17.	मध्य प्रदेश	6- मुरैना
18.	मध्य प्रदेश	7- दिमनी
19.	मध्य प्रदेश	8- अम्बाह (अ.जा.)

20.	मध्य प्रदेश	12-मेहगांव
21.	मध्य प्रदेश	13- गोहद (अ.जा.)
22.	मध्य प्रदेश	15-ग्वालियर
23.	मध्य प्रदेश	16- ग्वालियर पूर्व
24.	मध्य प्रदेश	19- डबरा (अ.जा.)
25.	मध्य प्रदेश	21- भाण्डेर (अ.जा.)
26.	मध्य प्रदेश	23- करेरा (अ.जा.)
27.	मध्य प्रदेश	24- पोहरी
28.	मध्य प्रदेश	28- बामोरी
29.	मध्य प्रदेश	32- अशोकनगर (अ.जा.)
30.	मध्य प्रदेश	34- मुंगावली
31.	मध्य प्रदेश	37- सुरखी
32.	मध्य प्रदेश	53- मलहरा
33.	मध्य प्रदेश	87- अनूपपुर (अ.ज.जा.)
34.	मध्य प्रदेश	142- सांची (अ.जा.)
35.	मध्य प्रदेश	161- ब्यावरा
36.	मध्य प्रदेश	166- आगर (अ.जा.)
37.	मध्य प्रदेश	172- हाटपिपल्या
38.	मध्य प्रदेश	175- मांधाता
39.	मध्य प्रदेश	179- नेपानगर (अ.ज.जा.)
40.	मध्य प्रदेश	202- बदनावर

41.	मध्य प्रदेश	211- सांवेर (अ.जा.)
42.	मध्य प्रदेश	226- सुवासरा
43.	मणिपुर	30- लिलोंग
44.	मणिपुर	34- वॉग्जिंग टेन्था
45.	मणिपुर	22-बॉगोइ
46.	मणिपुर	51-सैतू(अ.ज.जा.)
47.	मणिपुर	60-सिंघाट(अ.ज.जा.)
48.	नागालैण्ड	14- दक्षिणी अंगामी-I (अ.ज.जा.)
49.	नागालैण्ड	60- पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.)
50.	उड़ीसा	38- बालासौर
51.	उड़ीसा	102- तिरतोल (अ.जा.)
52.	तेलंगाना	41- डुब्बक
53.	उत्तर प्रदेश	40- नौगावां सादात
54.	उत्तर प्रदेश	65- बुलंदशहर
55.	उत्तर प्रदेश	95- टूंडला(अ.जा.)
56.	उत्तर प्रदेश	162- बांगरमऊ
57.	उत्तर प्रदेश	218- घाटमपुर (अ.जा.)
58.	उत्तर प्रदेश	337- देवरिया
59.	उत्तर प्रदेश	367-मल्हनी

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2020.